

11518

पंचायती आज नियत लोक अदालत में पेश हुई। पंचायत के पक्ष नहीं होने से पंचायती मत उ...  
दिनांक 3/7/18..... को रखा हो।

37/18

अभि० उपायुक्त उपर्युक्त सुना गया।  
न्यायहित में रु. पांच सौ कोर्ट पर ७०  
पत्र जारी किया गया और मूल ७०  
पत्र सीवरी को पुनः प्रस्तुत पर लिखे जाने के  
आदेश दिए गए। कोर्ट की राशि कमील  
कलपाण कोष में जमा कराकर रसीद पेश करने  
पर पत्र लकी के हल होकर तैयार होकर  
हा इत्रकार सुनाया गया। संलग्न ~~पत्र~~  
~~पत्र~~ पत्र संख्या 27/2016 में हो।

01-10-18  
11/21/18